भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2613

11 अगस्त, 2026 के लिए प्रश्न

ई-केवाईसी एवं राशन कार्ड डिजिटलीकरण की स्थिति

2613. श्रीमती दर्शना सिंह:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश तथा विशेष रूप से चंदौली जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अंतर्गत ई-केवाईसी की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) अब तक कितने राशन कार्डो का डिजिटलीकरण और आधार सत्यापन किया गया है;

(ग) ई-केवाईसी के अभाव में जिन पात्र लाभार्थियों का राशन वितरण प्रभावित हुआ है, उनकी संख्या कितनी है; और

(घ) उत्तर प्रदेश तथा विशेष रूप से चंदौली जिले में शत-प्रतिशत ई-केवाईसी एवं डिजिटलीकरण सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) वर्तमान में, उत्तर प्रदेश राज्य (चंदौली जिले सहित) में 93.9% लाभार्थियों का ई-केवाईसी पूरा हो चुका है।

(ख) उत्तर प्रदेश में एनएफएसए के अंतर्गत सभी 3.65 करोड़ राशन कार्डों का 100% डिजिटलीकरण और उन्हें आधार से जोड़ दिया गया है।

(ग) इस विभाग को इस प्रकार का कोई मामला प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) एनएफएसए लाभार्थी ई-पीओएस डिवाइस का उपयोग करके उचित दर की दुकानों (एफपीएस) पर ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा, विभाग ने एनएफएसए लाभार्थियों को देश में कहीं भी अपनी पसंद के एफपीएस पर आधार का उपयोग करके ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने की सुविधा भी प्रदान की है। इस पहल से विशेष रूप से प्रवासी लाभार्थियों को लाभ होगा जिन्हें पहले ई-केवाईसी प्रक्रिया के लिए अपने गृह राज्य जाना पड़ता था। इसके अतिरिक्त, एनआईसी द्वारा विकसित मेरा ई-केवाईसी मोबाइल एप्लिकेशन आधार-आधारित चेहरे की पहचान को सक्षम बनाता है, जिससे लाभार्थी एफपीएस पर जाए बिना दूर से ही ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

इसके अलावा, इस विभाग ने दिनांक 22/07/2025 के सा.का.नि. 488(अ) के माध्यम से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 में उपयुक्त संशोधन किए हैं।
